रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के0पी0सिटी– 67/2021–23

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अधिकार किसको जाननेके लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही,
कानपुर–208014

वर्ष –43 ● अंक – 16 ● कानपुर 16 से 31 अगस्त 2021 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

स्थानीय पंजीयन होने से

प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों में उत्साह

इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है अधिकार पूर्वक इस चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय किया जा सकता है, बशर्ते ! जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा हो वह उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन कर रहा हो, जो लोग यह भ्रम फैलाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए इस पर अभी कोई कानून प्रभावी नहीं है यह नितान्त भ्रामक व असत्य है क्योंकि चिकित्सा राज्य का विषय होता है और जो चीज जहाँ से नियन्त्रित की जाती है उसे वहाँ से नियन्त्रित होने के लिए प्रयास करने चाहिये यह सत्य है कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा, शिक्षा व अनुसंधान के लिए स्पष्ट आदेश कर दिये हैं लेकिन यह भी जानना चाहिये कि केन्द्र सरकार आदेश करती है और राज्य सरकार आवश्यकतानुसार जनहित में उनका अनुपालन करती है, आपको बताते चलें कि चिकित्सा व्यवस्था को गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए 18 अगस्त, 2010 को केन्द्र सरकार द्वारा क्लीनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट नामक अधिनियम बनाया गया था जिसे हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ लागू करना था।

11 वर्ष बीत जाने के बाद अभी भी अधिकांश राज्यों में यह कानून प्रभावी नहीं है ठीक इसके बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का आदेश भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 जून, 2011 को जारी किया गया था इस आदेश का अनुपालन भी देश के हर राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश को करना था परन्तु दुर्भाग्यवश 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के एकमात्र राज्य उत्तर प्रदेश में ही इस आदेश का क्रियान्वयन हो सका है आज भी 11 राज्यों में इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बड़ी सुस्त गति से चल रही है।

अन्य राज्यों ने तो अभी तक इस आदेश के क्रियान्वयन की पहल भी नहीं की है, ऐसे में हम सब लोगों को इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने चाहिये, ऐसा इसलिए होना चाहिये क्योंकि जब तक अधिकांश राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन के लिए राज्य स्तरीय आदेश जारी नहीं होते हैं तब तक उस राज्य में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य असम्भव सा है और जब तक चिकित्सक को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है तब तक अपनी निजी क्षमतानुसार कार्य का प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है (उत्तर प्रदेश को छोड़कर) और जो कार्य पूरी क्षमता के साथ नहीं किये जा सकते हैं निश्चित रूप से उन कार्यों के परिणाम भी कभी अच्छे नहीं प्राप्त होते हैं।

आज की तिथि में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से ऐसे कार्य किये जायें जिसका सीधा प्रभाव जनता पर पड़े उदाहरण स्वरूप रोग से पीड़ित मनुष्य की एक मात्र इच्छा यही होती है कि शीघ्र से शीघ्र वह जिस चिकित्सक से चिकित्सा ले रहा है वह उसे रोगमुक्त करे, सिस्टम के बारे में तभी रोगी की अच्छी राय बनती है, एक बात तो बहुत सामान्य है, वह यह है कि रोगी अपने चिकित्सक के पास पूरे भरोसे के साथ जाता है और वह विश्वास रखता है कि उसका चिकित्सक उसे शीघ्र रोगमुक्त करके आराम दिलायेगा, जब रोगी को आराम मिल जाता है तब वह जहाँ कहीं भी जाता है अपने चिकित्सक और उसके द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली चिकित्सा पद्धति की प्रंशसा करते नहीं थकता है, आज हर व्यक्ति प्रगति की अन्धी दौड़ में दौड़ा जा रहा है सफलता मिले ! कैसे मिले ?इसके लिए कोई व्यवस्था निर्मित नहीं है और जब बिना व्यवस्थाओं के सफलता प्राप्त का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है तब ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति संदिग्ध रहती है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी निर्विवाद रूप से अधिकार प्राप्त है परन्तु अपने अधिकारों को हम कैसे उपभोग करें ?यह जानते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं आज कल अनेक राज्यों से निरन्तर ऐसी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं कि उन राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रमाण पत्र धारकों की क्लिनिकों पर छापे पड़ रहे हैं और उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा रही है,

निश्चित रूप से जब इस पत्रकार के समाचार हमारे पास आते हैं तो कष्ट होता है लेकिन जब हम उनके मूल कारणों पर जाते हैं और जो तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर वह तथ्य चिन्तनीय होते हैं, हम पिछले कई वर्षों से पूरे देश को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता को समझें और उसी के अनुसार आचरण करें, लोगों को यह पता होना चाहिये कि चिकित्सा करने का अधिकार राज्य सरकार के अधीन होता है अर्थात जो चिकित्सक जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है उसे उस राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करना ही चाहिये। आज यह मूल समस्या है कि भारत वर्ष के सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में स्थानीय पंजीयन किसी न किसी रूप में अवश्य लागू है, उसका स्वरूप चाहे जो हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ विडम्बना यह है कि आज भी राज्य स्तरीय परिषदों की तुलना में केन्द्रीय परिषदें इस कार्यवाही से जूझ रही हैं जब कि राज्य में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे अपने राज्य में विधि सम्मत ढंग से स्थापित राज्य स्तरीय परिषद में पंजीयन करा कर सुचारु रुप से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज भी देश में ऐसी कुछ संस्थायें हैं जो राष्ट्रीय पंजीकरण के आधार पर ही पूरे देश में प्रैक्टिस करने का अधिकार प्रदान करती हैं और अपने इस दावे के पक्ष में यह तर्क देती हैं कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं मिलती है तब तक राज्य स्तरीय पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है, यह नितान्त भ्रामक है जबकि सत्य यह है कि जो संस्थायें केन्द्रीय पंजीयन की वकालत करती हैं और केन्द्रीय पंजीयन के पक्ष में तथ्य देती हैं वे यथार्थ के धरातल से बिल्कुल अलग हैं जो संस्थायें केन्द्रीय अधिकार की बात करती हैं उन्हें चाहिये कि वे अपने विचारों को वैधानिकता के तराजू पर रखकर तौलें फिर यह निर्णय लें कि राज्य स्तरीय पंजीयन की आवश्यकता है कि नहीं ?

मान्यता और पंजीयन दोनो अलग अलग विषय हैं, मान्यता प्राप्त चिकित्सक यदि चिकित्सा व्यवसाय करते हैं तो उन्हें भी उस राज्य में पंजीयन कराना होता है जिस राज्य में वह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक अपने लिए कैसे अलग रास्ता बताते हैं यदि हम चिकित्सा व्यवसाय हेतु राज्य में प्रचलित कानूनों का पालन करें तो हमें कार्य करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होगी, जिन राज्यों में चिकित्सकों के साथ घटनायें घट रही हैं निश्चित रूप से वे वह सबकुछ नहीं कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिये, पहली बात तो अधिकांश चिकित्सक अपनी चिकित्सा पद्धति के प्रति निष्ठावान ही नहीं हैं दूसरी बात यह कि चिकित्सक कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक रूप में प्रदर्शित ही नहीं करते हैं, हमारे चिकित्कों को पता नहीं क्यों अपने स्वरूप से स्नेह नहीं है या तो उनमें हीन भावना है या फिर उनका दृष्टिकोण संकुचित हो चुका है।

यदि हम अपने साइनबोर्ड पर यह स्पष्ट उल्लेख करें कि यह क्लीनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की है और इस क्लीनिक को संचालित करने वाला चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथ है तो यकीन मानिये आधी समस्या का समाधान तो स्वतः ही हो जायेगा, अगली समस्या आती है राज्य स्तरीय पंजीयन के साथ साथ स्थानीय पंजीयन की, यदि हम इनकी प्रपूर्ति भी कर देते हैं तो हमें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, जब तक हम अपने आप को इस रूप में नहीं ढालते हैं तो हमारी परेशानी आसानी से दूर होती नहीं दिखती, सारी प्रपूर्ति के बावजूद भी यदि किसी अधिकारी द्वारा किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो इसका स्थानीय स्तर पर पुरज़ोर विरोध होना चाहिये और अपनी अधिकारिता सिद्ध करनी चाहिये, हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ पूरे अधिकार के साथ प्रैक्टिस करे लेकिन विधि सम्मत ढंग से।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट से अलग जनपदीय पंजीयन के निर्देश राज्य को दिये गये हैं जो अधिशाषी आदेश के तहत किये जा रहे हैं जिसके अनुसार मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा एलोपैथी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी द्वारा होम्योपैथों का पंजीयन किया जा रहा है, इन आदेशों के आलोक में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को जनपदीय पंजीयन जारी किया जा रहा है।

चिकित्सा हेतु स्थानीय पंजीयन आवश्यक

माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवमाननावाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0 प्र0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28 जनवरी, 2004 में निर्देशित किया गया कि प्रदेश में चिकित्सा सेवा देने वाले चिकित्सा संस्थानों का पंजीयन ज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय में आवश्यक रूप से एक निर्धारित तिथि तक हो जाना चाहिये निर्धारित तिथि तक पंजीयन न प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये इस हेतु शासन के प्रमुख सचिव को यह भी निर्देश दिया कि वह इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें तथा रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित प्रारूप भी जारी करें।

न्यायालय के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित प्रारूप जारी किया गया है तथा समस्त सम्बन्धित के सूचनार्थ समाचार पत्रों में सूचना भी प्रकाशित करायी गयी, चूंकि पंजीयन का दायित्व ज़िले के मुख्य चिकित्साधिकारी को दिया गया था जो कार्य की अधिकता के कारण पंजीयन के कार्य को सुगमता से नहीं कर पा रहे थे परिणामतः उनके अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आदेश का दुरूपयोग किया गया जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जा सका, माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की भावना का अनुसरण नहीं किया गया परिणामतः लगातार चिकित्सकों द्वारा मनमानी की गयी जिसका परीक्षण करते हुए माननीय न्यायालय ने चिकित्सा सेवा देने वालों का सीमांकन करने का निर्णय लिया और पूर्व जारी आदेश में संशोधन करते हुए अब मुख्य चिकित्साधिकारी को केवल एलोपैथी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी को आयुर्वेद एवं यूनानी तथा ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी को होम्योपैथी के चिकित्सकों एंव चिकित्सा प्रतिष्ठानों के पंजीयन का दायित्व सौंपा गया इस हेतु आयुष अनुभाग –1 द्वारा एक शासनादेश भी जारी किया गया।

चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप एवं आयुष अनुभाग –1 के आदेश के आलोक में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठानों के पंजीयन का निर्णय लिया इस हेतु बोर्ड ने ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय स्थापित कर ज़िला प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति भी की तथा उनको मुख्य चिकित्साधिकारी, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी एवं ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी की भांति अधिकार भी दिये गये।

जिला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकारियों को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा यह भी अधिकार दिया गया कि वह अपने जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन करने के साथ साथ चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण करें तथा आवश्यकतानुसार स्थानीय प्रशासन एवं चिकित्सकों/चिकित्सालयों के मध्य सामजंस्य स्थापित करेंगे, गैर पंजीकृत/अनाधिकृत चिकित्सकों को सचेत एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही की अनुसंशा भी करेंगे।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये हैं कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से सम्बन्धित आवश्यकतानुसार सूचनायें भी स्थानीय समाचार पत्रों में समय समय पर प्रकाशित करायें यदि आवश्यक हो तो पोस्टर एवं होर्डिंग भी लगवायें जिससे जनमानस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित हो सके तथा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के गैर पंजीकृत चिकित्सकों को पंजीकृत करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अधिकारी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों का मनोबल बढ़े तथा स्थानीय स्तर पर अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों के साथ सामंजस्य स्थापित हो, ऐसे आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में स्थानीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित करें जिससे वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता एवं वैधानिक स्थिति से अवगत हो सकें यदि स्थानीय अधिकारियों से उचित सामजंस्य स्थापित होगा तो स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं में स्थान बनाने के साथ साथ शासकीय स्तर पर कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा, ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रभारी अधिकारियों को चाहिये कि वह स्थानीय पंजीयन को प्रमुखतः दें।

पंजीकरण हेतु आवेदन–पत्र (प्रारूप)

(समस्त अधिकृत इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों एवं प्रतिष्ठानों हेतु)

यहाँ पर आवेदक अपनी नवीनतम फोटो चिपकायें

सेवा में,
प्रभारी अधिकारी,
ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय,
जनपद .....
उत्तर प्रदेश

महोदय,
मेरी क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान, जिसका विवरण निम्नवत है, का पंजीकरण करने का कष्ट करें :–

1. चिकित्सा प्रतिष्ठान का प्रकार :– .....
(अ) चिकित्सालय, निजी चिकित्सक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने हेतु।
(ब) अधिष्ठान व्यक्तिगत अथवा फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट, प्राइवेट लि0 या पब्लिक लि0 कम्पनी द्वारा संचालित है :–
.....

2. क्लीनिक /प्रतिष्ठान का पता :–
.....
.....

3. प्रदत्त चिकित्सा सेवायें :–
.....

4. पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सक/चिकित्सकों का विवरण :–
(जो कार्यरत/नियुक्त/लगे हुये हैं।)

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम	योग्यता	संस्थान का नाम	पंजीयन सं0	अंशकालिक/पूर्णकालिक

5.कार्यरत पैरा मेडिकल्स के नाम :–

क्रम सं0	नाम	पिता का नाम	योग्यता	संस्थान का नाम	पंजीयन सं0	अंशकालिक/पूर्णकालिक

संलग्नक :–
1. योग्यता (डिग्री, डिप्लोमा/प्रमाण पत्र) एवं पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्व: प्रमाणित प्रतियां।
2.क्लीनिक/चिकित्सा प्रतिष्ठान को संचालित करने वाले अथवा संस्थान के प्रभारी का समर्थन में नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र।

दिनांक :
स्थान :–
दूरभाष/मोबाइल नं0 :– .....
ई–मेल :– .....
वाटसएप नं0 :–

आवेदक के हस्ताक्षर
(चिकित्सा सेवायें प्रदान करने वाले/संस्थान के प्रभारी)
नाम :– .....
पता :– .....

शपथ–पत्र

(नोटरी द्वारा प्रमाणित)

यहाँ पर शपथी अपनी नवीनतम फोटो चिपकायें

समक्ष
प्रभारी अधिकारी,
ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय,
जनपद .....
उत्तर प्रदेश

मैं ..... आयु :– वर्ष.....माह.....दिन.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ..... निवासी .....
..... का हूँ तथा शपथपूर्वक निम्न बयान करता/करती हूँ :–

1– यह कि शपथी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 से एक रजिस्टर्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक है जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 ..... तथा दिनांक ..... तक वैध है पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न है।

2– यह कि शपथी अस्पताल/क्लीनिक/प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक/अंशकालिक/ऑन कॉल कार्यरत है।

3– यह कि शपथी किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी/अन्य प्रतिष्ठान में पूर्णकालिक /अंशकालिक /ऑन कॉल कार्यरत नहीं है (यदि कार्यरत है तो सम्पूर्ण विवरण दें) .....
.....
.....

4– यह कि शपथी उपरोक्त प्रतिष्ठान से जब भी कार्य छोड़ेगा इसकी सूचना प्रतिष्ठान के स्वामी तथा आपके कार्यालय में एक माह पूर्व दे देगा/देगी।

5– यह कि शपथी बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0 द्वारा जारी आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी तथा उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पांच–6–10–23 रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 एवं शासनादेश संख्या 2241/पाँच–6–2015–103 जी/15 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 तथा आयुष अनुभाग–1 कार्यालय ज्ञाप संख्या 1297/71 –आयुष–1–2016–डब्लू–283/2014 दिनांक 03 अगस्त, 2016 का पूर्ण अनुशासन के साथ पालन करेगा/करेगी।

6– यह कि शपथी ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन कर ऐसा प्रचार नहीं करेगा/करेगी जिससे जनता गुमराह हो।

स्थान :– .....

शपथी

दिनांक :– .....

मैं शपथी ..... उपरोक्त शपथपत्र की धारा 1 से 6 तक सत्यापित करता/करती हूँ जो मेरे निजी ज्ञान से सत्य है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है अगर कोई भी असत्य तथ्य संज्ञान में आया तो किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए शपथी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगी। आज दिनांक .....को अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

स्थान :– .....

शपथी

दिनांक :– .....

नोट:– आवेदन पत्र संलग्नकों सहित तथा शपथ पत्र इ–मेल upelectrohomoeopathy@gmail.com पर (PDF) पी0डी0एफ0 फार्मेट में भेजें तथा मूल प्रति जनपदीय प्रभारी अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

इलेक्ट्रो होम्योपैथ के रुप में प्रस्तुति आवश्यक

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों का दायित्व है कि वे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रदर्शन इस प्रकार करें कि उनकी विधा स्पष्ट रुप से पारदर्शी नजर आये जिससे देखने वाले को कोई भ्रम न रहे कि आप किस पद्धति में प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रायः इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों को लोग होम्योपैथ समझ लेते हैं जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यदि हमारा प्रदर्शन यथार्थ होगा तो सन्देह अथवा भ्रम का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, इससे आपको दो फायदे भी तुरन्त मिलेंगे नम्बर–1 सबसे पहले तो जहां पर आपका चिकित्सालय होगा वहां पर आपकी पहचान इलेक्ट्रो होम्योपैथ चिकित्सक के रुप में होगी, आपकी अगर डायग्नोसिस और इलाज सही होगा तो आपको वहां पर चमकने से कोई रोक नहीं सकता, जब चमक और ख्याति होती है तो आपके आस पास रहने वाले लोगों का दायरा भी बढ़ेगा कुछ अच्छे होंगे तो कुछ बुरे भी, यहीं पर आपको दूसरा फायदा मिलने वाला होगा, फायदा नम्बर–2 यह होगा कि जब आपकी पहचान इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक के रुप में होगी तो आपको कोई भी स्वास्थ्य से जुड़ा अधिकारी अनायास परेशान करने नहीं आयेगा क्योंकि आपके बोर्ड पर आपकी पहचान साफ–साफ झलक रही होगी, आपसे जलने वाला व्यक्ति तो शिकायत इसी रुप में करेगा कि डाक्टर साहब होम्यापैथी से इलाज करते हैं और यह होम्योपैथिक डाक्टर नहीं हैं, अब यहीं पर आपकी पारदर्शिता काम आयेगी स्वास्थ्य मामलों से सम्बंधित जब अधिकारी आपके पास आपकी जाँच हेतु आयेगा तो उक्त अधिकारी आपका बोर्ड पढ़कर स्वंय संतुष्ट हो जावेगा कि प्रथम दृष्टि शिकायत फर्जी और निराधार है अब केवल खाना पूर्ति का ही काम रह जायेगा आपसे मिलने एवं आपके द्वारा दी जा रही दवाओं के अवलोकन के बाद रही सही कसर भी पूर्ण हो जायेगी और साँच को आँच नहीं वाली कहावत भी चरितार्थ हो जायेगी, इस जाँच के बाद आपका मनोबल भी बढ़ जायेगा और आप दोगुनी ऊर्जा के साथ अपने कार्य को करेंगे, ख्याति में चार चाँद तो लगना ही है, आस–पास के लोग कहेंगे कि डाक्टर साहब असली वाले हैं जाँच हुयी कुछ भी गलत नहीं निकला, ख्याति बढ़ी तो रोगी बढ़े, रोगी बढ़े तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी आय भी बढ़नी ही है।

इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ आपके चिकित्सालय का रख रखाव व साज–सज्जा भी अपना महत्व रखती है आपने देखा होगा कि एलोपैथी के डाक्टर अपने चैम्बर किस प्रकार बनाते हैं, उनके कन्सल्टिंग रुम अलग, रोगी के बैठने का स्थान अलग, रोगी के पर्चे बनाने वाला काउन्टर व अटेन्डेन्ट अलग, दवा देने वाला काउन्टर व फार्मेसिस्ट अलग होते हैं, इन सबका भी रोगी पर प्रभाव पड़ता है, कुछ डाक्टर्स ने तो रोगियों के मनोरंजन हेतु टी0वी0 का भी प्रबन्ध कर रखा है परन्तु यह सब तभी सम्भव होगा जब आपकी अपनी एक पहचान होगी।

चिकित्सक के पास अनेक सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के साथ उनका अपना अधिकृत पंजीयन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 में होना भी आवश्यक है (यदि किसी अन्य राज्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस राज्य परिषद द्वारा जारी वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिये) जिसकी वैधता अद्यतन होना आवश्यक है, उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करने वाले सभी पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सकों को जनपदीय पंजीयन भी कराना अनिवार्य है, ऐसा माननीय उच्च न्यायायालय तथा राज्य सरकार का आदेश है, ऐसा न करने की स्थिति में कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, चिकित्सा कार्य में पारदर्शिता एवं प्रस्तुति के साथ–साथ वैधानिकता का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है यदि हम वैधानिकता को प्रमुखता देंगे तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उन्नति एवं विकास के पथ पर सहजता से आगे ले जा सकेंगे, यही प्रत्येक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक का लक्ष्य होना चाहिये।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सा, अनुसंधान एवं विकास हेतु पहले ही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में दिनांक 21 जून, 2011 को जारी किया जा चुका है, इसकी प्रति देश की सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों को अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी है, इसकी पुष्टि समय–समय पर अनेक अवसरों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है।

उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग–6 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2914/पाँच–6–10–23रिट/11 दिनांक 04 जनवरी, 2012 द्वारा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति की शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास हेतु अधिकृत किया है, बोर्ड इस अधिकार के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सकों को रजिस्ट्रेशन आदि जारी करता है।

Electro Homoeopathic

Medical Association of India

E.H.M.A.I.

IS ONLY

NATIONAL ORGANIZATION

of

Electro Homoeopathy

AS NOTIFIED BY

Govt. of India

Ministry of Health & Family Welfare

Vide Order No C.30011/22/2010/HR

Dt. 21-06-2011

Regarding Practice ,

Education & Research

देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का विकास राज्यों में समुचित विकास से ही सम्भव इसके लिये

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

द्वारा जारी आदेश संख्या

C.30011/22/2010-HR Dated 21-06-2011

के साथ आदेश संख्या

R. 14015/25/96-U&H (R)(Pt) Dated 25-11-2003

V.25011/276/2009-HR Dated 05-05-2010

से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक

मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया

द्वारा सर्व हित में जारी

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर–14 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर–14 से प्रकाशित किया।